DEVELOPMENT DEPARTMENT GOVT OF NCT OF DELHI, 5/9 UNDER HILL ROAD, DELHI:110054. PHONE NO. 23941773-23930783 **EMAIL: CDEVLOP@NIC.IN**

No. F.8(9)/PDRD/Vidhan Sabha Q/2025/ 41 (3

Dated: 26/03/2025

To,

The Deputy Secretary (Question Branch), Delhi Legislative Assembly Old Sectt, Delhi: 110054.

Sub: Vidhan Sabha Unstarred Question No. 176 for 27.03.2025 by Hon'ble MLA Mr. Sanjeev Jha.

Sir,

With reference to subject cited above, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 176 for 27.03.2025 by Hon'ble MLA Mr. Sanjeev Jha duly authenticated by competent authority. Reply is also being provided in Soft copy PDF format.

This issues with the prior approval of Minister-incharge.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Deputy Director

Dated: 26/03/2025

No. F.8(9)/PDRD/Vidhan Sabha Q/2025/

Copy forwarded to:

- 1. Secretary to Hon'ble Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, Delhi-110002.
- 2. The Director, Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of NCT Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054 along with 150 copies of the reply for distribution of the House.
- 3. S.O. to Chief Secretary, Delhi, 5th Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.

Deputy Director

विकास विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली—110054

अतारांकित प्रश्न संख्याः—176 दिनांकः—27.03.2025 प्रश्नकर्ता का नाम — श्री संजीव झा क्या माननीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2024—25 में गांवों के विकास के लिए 900 करोड़ अनुमानित बजट खर्च किया जाना था;	
ख	यदि हाँ, तो इस बजट में से कितना पैसा स्वीकृत हुआ और कितना पैसा स्वीकृत नहीं हो पाया;	898.87 करोड़ रू आवंटित किए गए के प्रांत
ग	क्या यह सत्य है कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से एस्टिमेट आने के बावजूद इस बजट के 700 करोड़ रू वापस कर दिए गए;	रूपये वापिस नहीं किए गए। तत्कालीन सरकार द्वारा उक्त वित्त वर्ष में संशोधित अनुमानों में 600 करोड़ रूपये की कटौती कर दी गई थी।
प	यदि हाँ, तो यह आदेश किसने दिया, पूर्ण विवरण दें; और	लागू नहीं होता।
	उन पर पुनः विचार किया	कोई ऐंस्टीमेट वापस नहीं किए गए हैं। लंबित परियोजनओं को आगामी वित्त वर्ष में बजट की उपलब्धता और नवनिर्वाचित विधायक की संस्तुति के उपरान्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

उपनिदेशक (ग्रामीण विकास विभाग)